

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक: एफ 27(252)ग्रावि/सुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22 जयपुर, दिनांक 02 नवम्बर, 2021

स्थायी आदेश संख्या 38 / 2021

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 27 (79) ग्रावि/अनु-5/ जीकेएन/प्रशा.अनु.सं./2014 दिनांक 17.9.14 के क्रम में जारी स्थाई आदेश संख्या 22/2015 दिनांक 27.11.15 के द्वारा शिड्यूल ऑफ पावर्स तालिका - 3 में निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति के लिए तकनीकी अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों में विभागीय स्थाई आदेश संख्या 32/2017 दिनांक 13.4.2017 द्वारा संशोधन किया गया है। इसी क्रम में कनिष्ठ तकनीकी सहायक /कनिष्ठ अभियंता के लिए प्रदत्त शक्तियों में, तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु प्रदत्त शक्तियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

परिशिष्ट - 3 तकनीकी स्वीकृति

क. सं.	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियाँ निहित हैं	स्थायी आदेश संख्या 32/2017 अनुसार पूर्व में प्रदत्त शक्तियों की सीमा (राशि रूप्यों में)		संशोधित निर्देश शक्तियों की सीमा (राशि रूप्यों में)		शर्तें/टिप्पणियाँ
			नवीन	मरम्मत/ रखरखाव	नवीन	मरम्मत/ रखरखाव	
			4	5	6	7	
1	निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति (मूल) (नवीन कार्य/ मरम्मत/ रखरखाव हेतु)	कनिष्ठ तकनीकी सहायक/ कनिष्ठ अभियंता	5.00 लाख तक	1.00 लाख तक	10.00 लाख तक	1.00 लाख तक	शर्तें यथावत लागू

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग, ग्रावि एवं पं.रावि, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी)।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जयपुर।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अभियंतागण, ग्रा.वि.एवं पं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशासी अभियंता, ईजीएस/अभि./जल संसाधन, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)